केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
Central Government Employees
Welfare Housing Organisation
(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23739722 / 23717249 / 23355408
फैक्स : 23717250

6th floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi-110001
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408
Fax : 23717250
E-mail : cgewho@nic.in

तीव्र डाक

A-110/6 (खण्ड–2) 30-01-2017

सेवा में,

एस ए एस नगर, सेक्टर–79, मोहाली आवासीय योजना के सभी पंजीकृत आवेदक।

विषय : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली, पंजाब स्थित परियोजना में निर्माण कार्य शुरू होने के बाबत।

महोदय / महोदया,

एस ए एस नगर, सेक्टर–79 आवासीय योजना में अग्रेसीत कार्रवाई के कम में सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा आपके आवंटन के पुष्टिकरण का संदर्भ लें। इसमें आपको सूचित करना है कि....

(अ)	आज की तारीख में ग्रेटर मोहाली एरिया विकास प्राधिकरण द्वारा संस्तुत कुल 316 आवासीय इकाईयों में से सिर्फ 144 आवासीय इकाईयों का अभिदान (Subscription) मिला है, जो कि 50% से भी कम है।
(ब)	योजना के रूपरेखा की संस्तुति हेतु ग्रेटर मोहाली एरिया विकास प्राधिकरण (गमाडा) के कार्यालय में अभी भी लम्बित है।
(स)	वर्तमान परिस्थिति में प्लाट की भौगोलिक स्थिति और मौजूद अभिदान (Subscription) को देखते हुए सीजीईडब्ल्यूएचओ इस अवस्था में नहीं है कि परियोजना को टुकड़ों में लागू किया जाए।
(द)	मोहाली (फेस–1) एवं (फेस–2) में कमशः 23 एवं 134 आवासीय इकाईयों को पूर्ण अभिदान (Subscription) न मिलने के कारण सीजीईडब्ल्यूएचओ की पर्याप्त राशि लगी हुई है।

2. उपरोक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए सभी पंजीकृत आवेदकों को अनुलग्नक–1 के अनुसार निम्नलिखित विकल्प प्रस्तावित है। आपसे निवेदन है कि आप इन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि अनुलग्नक–1 में अपना सही विकल्प चुनकर हमें 28.02.2017 तक भेज दें।

विकल्प–1 :एस ए एस नगर आवासीय योजना के लाभार्थी हमारी सेक्टर–125 स्थित मोहाली (फेस–1) एवं (फेस–2) पूरी तरह से रिहाईश के लिए तैयार अपार्टमेंट में बकाया राशि का भुगतान करके तुरंत कब्जा ले सकते है।

विकल्प–2 : सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली आवासीय योजना में बने रहने की पुष्टि करना।

वे लाभार्थी जो अपनी कुल जमा पूँजी को सेक्टर–79, शास नगर, मोहाली आवासीय योजना में निर्माण कार्य शुरू होने तक सीजीईडब्ल्यूएचओ में रखेंगे, उन्हें......

अ) परिवर्तित कीमत और विन्यास (अगर परिवर्तन हुआ) के अनुसार उनके आवंटन की पुष्टि का विकल्प दिया जाएगा।

ब) वे आवेदक जो योजना में अन्त तक बने रहेंगे उनकी जमा राशि पर योजना की अन्तिम तिथि (31.07. 2014) या सीजीईडब्ल्यूएचओ के खाते में जमापूँजी (जो भी अन्तिम हो) से या परिशोधित योजना की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो पर 5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। हॉलाकि उपरोक्त ब्याज का समायोजन छठी और अन्तिम किस्त के समय किया जाएगा।

अग्रेसीत .....पृष्ठ सं./2